

संख्या: 113 / XXVIII-2 / 01(38)2014टी0सी0-2

प्रेषक

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के संरचनात्मक ढांचे में संशोधन के सम्बन्ध में।
महोदय,

शासनादेश संख्या-400 / XXVIII-2 / 01(38)2014टी0सी0-1, दिनांक 20.05.2016 द्वारा स्वीकृत उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के संरचनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन करते हुए, क्रमांक-2 पर अंकित परीक्षा नियंत्रक के सम्मुख अंकित अभ्युक्ति में उल्लिखित 'आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को अतिरिक्त दायित्व/प्रभार' के स्थान पर 'हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सयुक्त निदेशक स्तर के चिकित्साधिकारी को अतिरिक्त दायित्व/प्रभार' अंकित किये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश की अन्य शर्तें/प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-42 / XXVII(7) / 2018, दिनांक 16 जनवरी, 2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या: 113 / XXVIII-2 / 01(38)2014टी0सी0-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अध्यक्ष, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. परीक्षा नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
6. परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय।
7. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से


(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव।